संख्या-1120/2026/410/22-2-2026-17(290)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अविनेश उर्फ अभिनेश पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ, निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-9469/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-09.02.2026, दिनांक 16.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अविनेश उर्फ अभिनेश पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ, रमवां, थाना-थरियांव, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। **प्रथम केस** केस नं0-1 पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 22.11.1997 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक व तमंचा से गोली मारकर मलखान सिंह की हत्या कारित की गयी। **द्वितीय केस** पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 21.04.2005 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु 1- बन्दी को एसटीनं0-01/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, फतेहपुर के आदेश दिनांक 28.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.04.2023 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। 2- बंदी को एसटी नं0-521/2005 व 522/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148,506 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, फतेहपुर के आदेश दिनांक 23.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.04.2023 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा **प्रथम केस** में दिनांक 13.05.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 05 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 07 माह 08 दिन तथा **द्वितीय केस** में दिनांक 13.05.2025 तक अपरिहार 19 वर्ष, 05 माह, 16 दिन तथा 19 वर्ष 05 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 13.05.2025 तक बंदी की 58 वर्ष, 03 माह की आयु बन्दी द्वारा कारित अपराध एवं प्रकृति (दो आजीवन कारावास की सजा), पुलिस रिपोर्ट के आनुसार 05 अन्य वाद दर्ज होने एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अविनेश उर्फ अभिनेश (बन्दी संख्या-96/12) पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ, निवासी जनपद-फतेहपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कमलेश कुमार
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1120/2026/410(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।